

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 52 OF 2026

IN THE MATTER OF:

News Item Titled Noida CEO Remove CM Order SIT Probe in to techie
Drowning appearing in the Times of India dated 20.01.2026

		INDEX
SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	Additional Affidavit on Behalf of Respondent Uttar Pradesh Pollution Control Board	1-4
2.	<u>ANNEXURE-1</u> copy of the show cause notice have been issued by the Board Headquater	5- 20
3.	<u>ANNEXURE-2</u> .Copy of the inspection report	21-26
4.	Vakalatnama	27

**NEW DELHI
DATED: 09.04.2026**



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 52 OF 2026


IN THE MATTER OF:

News Item Titled "Noida CEO Removed CM Orders SIT
probe into techie's Drowning" appearing in The Times of India
Dated-20.01.2026

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-2, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Vikas Mishra, aged about 45 years, S/o Shri Ganga Sharan Misra, presently posted as Regional Officer, U.P. Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Greater NOIDA and Additional Charge of Regional Office, UP Pollution Control Board, Noida, U.P. do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I in the above noted capacity am well conversant with the facts and records of the present case and being authorized by U.P. Pollution Control Board, am competent to swear this affidavit.
2. That while taking suo-motu cognizance of a news report published in The Times of India on 20th January 2026 regarding the incident, involving the death of Software Engineer, Mr. Yuvraj Mehta, who fell into a pool of stored water at a commercial site in Sector-150, NOIDA, this Hon'ble Tribunal passed an order dated January 22, 2026 and



(Handwritten signature)

impleaded the U.P. Pollution Control Board as one of the Respondents and directed to file reply/response.

3. That in compliance of the said order dated 22.01.2026 present reply is being filed.
4. That the incident resulting in the death of Software Engineer Mr. Yuvraj Mehta who fell into a body of water accumulated on a commercial site occurred at Plot No. SC-02/A-3. As per the subsidiary letters and site plans approved by the Noida Authority vide Letter No. Noida/Vanijya/2016/471 dated June 6, 2016, the aforementioned plot is registered in the names of M/s Wiztown Planners Pvt. Ltd. and M/s Lotus Green Constructions Pvt. Ltd. and covers a total area of 27,185.0 square meters. During an inspection, it was observed that both the aforementioned plots and the adjacent Plot No. SC-02B are currently inundated with water, resembling a lake or pond. According to Google Maps, the area of Plot No. SC-02B is approximately 100,000 square meters. Consequently, the total area of the currently formed lake/pond, is approximately 1,27,000 square meters. As per Google Earth imagery, water accumulation on the plot where the incident occurred has been visible since November 2021 and prior to this, in June and March of the same year, the site appeared vacant, with a concrete raft structure visible on the land.
5. That during the inspection, it was observed that a storm water drain has been constructed in Sector-150, NOIDA to facilitate the drainage of rainwater, as well as domestic and other effluents generated within the sector. This drain connects to the drain of Sector-151 near the Ace Medley Mall roundabout



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M.K. Sharma", located at the bottom right of the page.

in Sector-150, through which the water from Sector-150's storm water drain is intended to be discharged into the Kondli Drain. However, the inspection revealed that the section of the storm water drain connecting Sector-150 to Sector-151 was clogged with silt and found to be completely blocked. Consequently, due to the lack of an outlet, water from Sector-150's drain has accumulated in the said plot. Storm water drains run along three sides of the aforementioned lake and at various points along these drains, there are breaches or openings through which the effluent from the drains is seeping into and accumulating within the adjacent plots.

6. That it is submitted that the sewer line carrying domestic effluent generated in Sector-150 is connected to the Noida Authority's STP (with a capacity of 100 MLD and 50 MLD) located in Sector-168, however, residents reported that the sewer line is blocked and damaged at various points. Consequently, the domestic effluent (whether treated or untreated) discharged from the said sector is flowing into the storm water drain. Furthermore, due to a blockage in the storm water drain near Sector-151, this effluent is accumulating in the drain and in the aforementioned plot.
7. That during the inspection, the team of the laboratory of the Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board collected samples of water at Plot No. SC-02/A3 which was flowing into the stormwater drain up to two points.
8. That an inspection of Sector-150, Noida, was conducted by the Regional Office of Uttar Pradesh Pollution Control Board and during the inspection, approximately 16 projects were




A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal line.

examined. Out of the aforementioned 16 projects, occupancy was observed in 11 projects, while no occupancy was found in the remaining 05 projects. In the 11 projects where occupancy was found, the installed Sewage Treatment Plants (STPs) were inspected and samples of the generated effluent were collected. For those projects where the STPs were found to be non-functional during the inspection, where the collected samples did not meet the prescribed standards, or where the requisite consent from the Board was found to be lacking, a report recommending action was forwarded to the Board's Headquarter and subsequently, Show Cause Notices have been issued by the Board's Headquarter, is attached as **Annexure-01**

9. That in compliance of the order passed by this Hon'ble Tribunal, the detailed inspection report of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, is attached as **Annexure-02**.

The above reply on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.





DEPONENT

VERIFICATION

Verified at NOIDA on this the day of April, 2026 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

ATTESTED


MUKESH KUMAR SHARMA,
Advocate Notary
Gautam Budh Nagar


DEPONENT

7 APR 2026



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail : info@uppcb.com Website : https://uppcb.up.gov.in

पत्रांक: H38934 /सी-1/जल-337/का0बी0नो0-जल/2026

दिनांक:- 13/03/26

M/s ACE Infracity Developers Pvt. Ltd.(ACE Golfshire),
Plot No-GH-01/A-05, Sector-150,
Noida, Gautambudh Nagar

T- 91-0120-2487200

यह कि उद्योग M/s ACE Infracity Developers Pvt. Ltd.(ACE Golfshire), Plot No-GH-01/A-05, Sector

-150, Noida, Gautambudh Nagar जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत एक ग्रुप हाऊसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-45(ई)(5) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि एन0सी0आर0 क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ग्रैप के प्रतिबंध लागू है। ग्रुप हाऊसिंग परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-04.02.2026 को परियोजना प्रतिनिधि श्री अखिलेश कुमार, टेक्निकल मैनेजर की उपस्थिति में किया गया। परियोजना में कुल-05 टावर, 434 फ़ूट्स तथा 80 प्रतिशत ऑक्सीपेशी अवगत कराया गया। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 01 एस0टी0पी0 स्थापित पाया गया, जो एम0बी0बी0आर0 पद्धति पर आधारित है तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एस0टी0पी0 की क्षमता 260 के0एल0डी0 है। निरीक्षण के समय एस0टी0पी0 कार्यरत अवस्था में नहीं पाया गया तथा क्लेक्शन टैंक से बाईपास व्यवस्था स्थापित पायी गयी, जिससे अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को परिसर के बाहर नोएडा प्राधिकरण की सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता पाया गया। बाईपास किये जा रहे अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। एस0टी0पी0 अकार्यरत अवस्था में पाया गया, एस0टी0पी0 के ब्लोवर, मोटर्स खराब अवस्था में अवगत कराये गये। ग्रुप हाऊसिंग परियोजना में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 1010 के0वी0ए0 क्षमता का 01 डी0जी0 सेट स्थापित है। कार्यालय अभिलेखानुसार ग्रुप हाऊसिंग परियोजना को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-30.08.2022 द्वारा सहर्त सहमति जल/वायु वैधता अवधि दिनांक-31.12.2022 तक निर्गत थी तदोपरान्त सहमति प्राप्त नहीं की गयी एवं वर्तमान में परियोजना का संचालन बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बगैर किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्रांक-1720/सी/ए-708/2026 दिनांक-09.02.2026 के माध्यम से उद्योग M/s ACE Infracity Developers Pvt. Ltd.(ACE Golfshire), Plot No-GH-01/A-05, Sector -150, Noida, Gautambudh Nagar द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न आपकी औद्योगिक उद्योग के विरुद्ध निवेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-09.02.2026 के अनुक्रम में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग M/s ACE Infracity Developers Pvt. Ltd.(ACE Golfshire), Plot No-GH-01/A-05, Sector -150, Noida, Gautambudh Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न M/s ACE Infracity Developers Pvt. Ltd.(ACE Golfshire), Plot No-GH-01/A-05, Sector

-150, Noida, Gautambudh Nagar के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दिया जाय?

2. यह कि क्यों न M/s ACE Infracity Developers Pvt. Ltd.(ACE Golfshire), Plot No-GH-01/A-05, Sector -150, Noida, Gautambudh Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
Radhey Shyam

Date: 12-03-2026

18:03:48
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

ok

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उOप्रO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती एवं निर्धारित समयावधि में अनुवर्ती आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ok

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail : info@uppcb.com Website : https://uppcb.up.gov.in

पत्रांक: H/38866 /सी-1/सा-2553/का0ब0नो0-जल/2026

दिनांक: 11/3/26

M/s Logix Heights Pvt. Ltd.(Mahangun Meadows),
Plot NoSC-01/A-03, Sector-150,
Noida, Gautambudh Nagar

यह कि उद्योग M/s Logix Heights Pvt. Ltd.(Mahangun Meadows), Plot NoSC-01/A-03, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत एक ग्रुप हाऊसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-45(ई)(5) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि एन0सी0आर0 क्षेत्र में मा0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ग्रैप के प्रतिबंध लागू है। ग्रुप हाऊसिंग परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-04.02.2026 को किया गया। परियोजना में कुल-02 टावर, 132 फ़ैट्स तथा 80 प्रतिषत ऑक्सीपेशी अवगत कराया गया। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 01 एस0टी0पी0 स्थापित पाया गया, जो एम0बी0बी0आर0 पद्धति पर आधारित है तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एस0टी0पी0 की क्षमता 250 के0एल0डी0 है। निरीक्षण के समय एस0टी0पी0 कार्यरत अवस्था में नहीं पाया गया तथा एस0टी0पी0 के मेन्टीनेन्स का कार्य प्रगति पर पाया गया। कलेक्शन टैंक से बाईपास व्यवस्था स्थापित पायी गयी, जिससे अशुद्धिकृत उत्प्रवाह को परिसर के बाहर नोएडा प्राधिकरण की सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता पाया गया। बाईपास किये जा रहे अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। ग्रुप हाऊसिंग परियोजना में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 500 के0वी0ए0 क्षमता के 02 डी0जी0 सेट्स स्थापित है। कार्यालय अभिलेखानुसार ग्रुप हाऊसिंग परियोजना को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-15.03.2018 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था तदोपरान्त सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी एवं वर्तमान में परियोजना का संचालन बोर्ड से वैध सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बगैर किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्रांक-1721/एन0ओ0सी0-142/2026 दिनांक-09.02.2026 के माध्यम से उद्योग M/s Logix Heights Pvt. Ltd.(Mahangun Meadows), Plot NoSC-01/A-03, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न आपकी औद्योगिक उद्योग के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-09.02.2026 के अनुक्रम में जल (प्रदूषण

ACE/06
↓
(57)

निवारण तथा नियंत्रण) आधानयम, 1974 का धारा-33ए के अन्तगत राज्य बाड का प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग M/s Logix Heights Pvt. Ltd.(Mahangun Meadows), Plot NoSC-01/A-03, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों M/s Logix Heights Pvt. Ltd.(Mahangun Meadows), Plot NoSC-01/A-03, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दिया जाये?

2. यह कि क्यों न M/s Logix Heights Pvt. Ltd.(Mahangun Meadows), Plot NoSC-01/A-03, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
Radhey Shyam

Date: 11-03-2026

(ई. सुधेश्याम)

13:54:03
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती एवं निर्धारित समयावधि में अनुवर्ती आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

९८



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H-39709 / सी-1/सामान्य-948/का०ब०नो०-जल/2026

पंजीकृत
दिनांक- 06-4-26

M/s Assertive Infrastructure Pvt. Ltd.(ATS Prestine),
Plot No. SC-01/A-1, Sector-150,
Noida, Gautambudh Nagar

यह कि उद्योग M/s Assertive Infrastructure Pvt. Ltd.(ATS Prestine), Plot No. SC-01/A-1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत एक गुप हाऊसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-45(ई)(5) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि एन०सी०आर० क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ग्रैप के प्रतिबंध लागू है। गुप हाऊसिंग परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-29.01.2026 को परियोजना प्रतिनिधि श्री गजेन्द्र सिंह, इस्टेट मैनेजर की उपस्थिति में किया गया। परियोजना में कुल-17 टावर, 1060 फ्लैट्स तथा 70 प्रतिशत ऑक्यूपेशी अवगत कराया गया। परियोजना में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 1200 क्वांटिटी क्षमता का 01, 1010 क्वांटिटी क्षमता के 02 तथा 500 क्वांटिटी क्षमता (ड्रयूल फयूल) का 01 डी०जी० सेट स्थापित है। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 01 एस०टी०पी० स्थापित पाया गया, जो एम०बी०बी०आर० पद्धति पर आधारित है तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त एस०टी०पी० की क्षमता 700 क्वांटिटी है। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० कार्यरत अवस्था में पाया गया तथा एस०टी०पी० के फाइनल आउटलेट से निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार पी०एच०-7.14, बी०ओ०डी०-12.5, सी०ओ०डी०-82.2, टी०एस०एस०-24.0, टी०डी०एस०-966.0, टी०सी०-3900.0, एफ०सी०-780.0, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। कार्यालय अभिलेखानुसार गुप हाऊसिंग परियोजना द्वारा सशर्त सहमति (जल एवं वायु) हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया गया था किन्तु वांछित सूचनाओं के अभाव में सशर्त सहमति (जल एवं वायु) आवेदन को राज्य बोर्ड के सन्दर्भ सं०-153382/UPPCB/Noida(UPPCBRO) /CTO/both/NOIDA/2022 dated-13.08.2025 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। वर्तमान में परियोजना का निर्माण कार्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र किये बगैर किया जा रहा है, जो कि सन्दर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्रांक-2031/सी/ए-726/2026 दिनांक-09.03.2026 के माध्यम से उद्योग M/s Assertive Infrastructure Pvt. Ltd.(ATS Prestine), Plot No. SC-01/A-1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न आपकी औद्योगिक उद्योग के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

...2

(2)

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-09.03.2026 के अनुक्रम में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग M/s Assertive Infrastructure Pvt. Ltd.(ATS Prestine), Plot No. SC-01/A-1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न M/s Assertive Infrastructure Pvt. Ltd.(ATS Prestine), Plot No. SC-01/A-1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न M/s Assertive Infrastructure Pvt. Ltd.(ATS Prestine), Plot No. SC-01/A-1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दे?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
RADHEY SHYAM
Date: 06-04-2026
19:08:40

(इं० राधेश्याम)

ok मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती एवं निर्धारित समयावधि में अनुवर्ती आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ok मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H-39712 / सी-1/सामान्य-2564/का०ब०नो०-जल/2026

पंजीकृत
दिनांक- 06-4-26

M/s Contend Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Golf City),
Plot No. SC-01/B-2, Sector-150,
Noida, Gautambudh Nagar

यह कि उद्योग M/s Contend Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Golf City), Plot No. SC-01/B-2, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत एक गुप हाऊसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-45(ई)(5) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि एन०सी०आर० क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ग्रैप के प्रतिबंध लागू है। गुप हाऊसिंग परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-09.02.2026 को परियोजना प्रतिनिधि श्री अवनीश कुमार, साईट इंचार्ज की उपस्थिति में किया गया। परियोजना में कुल-06 टावर, 434 फ्लैट्स अवगत कराया गया। परियोजना में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 500 कॅ०वी०ए० क्षमता (CPCB IV+) का 01 तथा 125 कॅ०वी०ए० क्षमता के 02 डी०जी० सेट्स स्थापित है। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 01 एस०टी०पी० स्थापित पाया गया, जो एम०बी०बी०आर० पद्धति पर आधारित है तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त एस०टी०पी० की क्षमता 500 कॅ०एल०डी० अवगत करायी गयी जो कि निर्माणाधीन है। उक्त गुप हाऊसिंग परियोजना में वर्तमान में ऑक्सीपेशी न होने के कारण एकत्रण का कार्य नहीं किया जा सका। कार्यालय अभिलेखानुसार गुप हाऊसिंग परियोजना द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था किन्तु वांछित सूचनाओं के अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र को राज्य बोर्ड के सन्दर्भ सं०-133805/UPPCB/Noida(UPPCBRO)/CTE/NOIDA/2023 dated-23.09.2023 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। वर्तमान में परियोजना का निर्माण कार्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र किये बगैर किया जा रहा है, जो कि सन्दर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्रांक-2028/एन०ओ०सी०-458/2026 दिनांक-09.03.2026 के माध्यम से उद्योग M/s Contend Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Golf City), Plot No. SC-01/B-2, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न आपकी औद्योगिक उद्योग के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

..2

(2)

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-09.03.2026 के अनुक्रम में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग M/s Contend Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Golf City), Plot No. SC-01/B-2, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न M/s Contend Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Golf City), Plot No. SC-01/B-2, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न M/s Contend Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Golf City), Plot No. SC-01/B-2, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
RADHEY SHYAM
Date: 06-04-2026
19:05:23
(ङ० राधेश्याम)

sk मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, ज०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती एवं निर्धारित समयावधि में अनुवर्ती आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

sk मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक H-39708 /सी-1/सामान्य-2568/का०ब०नो-जल/2026

दिनांक- 06-4-26

M/s Fest Home Developers Pvt. Ltd.,(ATS Homecraft),
Plot No. SC-02/J&K, Sector-150,
Noida, Gautambudh Nagar

यह कि उद्योग M/s Fest Home Developers Pvt. Ltd.,(ATS Homecraft), Plot No. SC-02/J&K, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत एक ग्रुप हाऊसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-45(ई)(5) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि एन०सी०आर० क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ग्रैप के प्रतिबंध लागू है। ग्रुप हाऊसिंग परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-29.01.2026 को परियोजना प्रतिनिधि श्री महेश वर्मा? इस्टेट मैनेजर की उपस्थिति में किया गया। परियोजना में कुल-12 टावर, 749 फ्लैट्स तथा 30 प्रतिशत ऑक्सीपेशी अवगत कराया गया। परियोजना में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 750 के०वी०ए० क्षमता (CPCB IV+) का 01 तथा 1010 के०वी०ए० क्षमता का 01 डी०जी० सेट्स स्थापित है। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 01 एस०टी०पी० स्थापित पाया गया, जो एम०बी०बी०आर० पद्धति पर आधारित है तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एस०टी०पी० की क्षमता 360 के०एल०डी० है। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० कार्यरत अवस्था में पाया गया तथा एस०टी०पी० के फाइनल आउटलेट से निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार पी०एच०-7.24, बी०ओ०डी०-14.5, सी०ओ०डी०-80.0, टी०एस०एस०-25.0, टी०डी०एस०-1106.0, टी०सी०-2100.0, एफ०सी०-920.0, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। कार्यालय अभिलेखानुसार ग्रुप हाऊसिंग परियोजना द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सशर्त सहमति (जल एवं वायु) हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया गया था किन्तु वांछित सूचनाओं के अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र को राज्य बोर्ड के सन्दर्भ सं०-253457/UPPCB/Noida(UPPCBRO)/CTE/NOIDA/2025 dated-05.01.2026 एवं सशर्त सहमति (जल एवं वायु) आवेदन को राज्य बोर्ड के सन्दर्भ सं०-233516/UPPCB/Noida(UPPCBRO)/CTO/both/NOIDA/2025 dated-18.06.2025 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। वर्तमान में परियोजना का निर्माण कार्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र किये बगैर किया जा रहा है, जो कि सन्दर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्रांक-2030/सी/एफ-179/2026 दिनांक-09.03.2026 के माध्यम से उद्योग M/s Fest Home Developers Pvt. Ltd.,(ATS Homecraft), Plot No. SC-02/J&K, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न आपकी औद्योगिक उद्योग के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

...2

(2)

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-09.03.2026 के अनुक्रम में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग M/s Fest Home Developers Pvt. Ltd.,(ATS Homecraft), Plot No. SC-02/J&K, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न M/s Fest Home Developers Pvt. Ltd.,(ATS Homecraft), Plot No. SC-02/J&K, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न M/s Fest Home Developers Pvt. Ltd.,(ATS Homecraft), Plot No. SC-02/J&K, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
RADHEY SHYAM
Date: 06-04-2026
19:09:43
(इं० राधेश्याम)

OR मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती एवं निर्धारित समयावधि में अनुवर्ती आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

OR मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H-39714 /सी-1/सामान्य-2563/का०ब०नो०-जल/2026

पंजीकृत
दिनांक- 06-4-26

M/s Logix Builders Promoters Pvt. Ltd.(Ace Medley Avenue),
Plot No. SC-01/A, Sector-150,
Noida, Gautambudh Nagar

यह कि उद्योग M/s Logix Builders Promoters Pvt. Ltd.(Ace Medley Avenue) Plot No. SC-01/A, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत एक परियोजना एक कमर्शियल बिल्डिंग है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-45(ई)(5) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि एन०सी०आर० क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ग्रैप के प्रतिबंध लागू है। परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-17.02.2026 को परियोजना प्रतिनिधि श्री अवनीश कुमार, साईट इंचार्ज की उपस्थिति में किया गया। परियोजना में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 500 के०वी०ए० क्षमता (CPCB IV+) के 02 तथा 1010 के०वी०ए० क्षमता का 01 डी०जी० सेट स्थापित है। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रावह के शुद्धिकरण हेतु 01 एस०टी०पी० स्थापित पाया गया, जो एम०बी०बी०आर० पद्धति पर आधारित है तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एस०टी०पी० की क्षमता 110 के०एल०डी० अवगत करायी गयी है। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० कार्यरत अवस्था में पाया गया तथा एस०टी०पी० के फाइनल आउटलेट से निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रावह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानसार पी०एच०-7.29, बी०ओ०डी०-58.0, सी०ओ०डी०-287.0, टी०एस०एस०-138.0, टी०डी०एस०-2150.0, टी०सी०-39000000.0, एफ०सी०-27000000.0, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार गुप हाऊसिंग परियोजना को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-13.03.2025 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु वैधता अवधि दिनांक-31.07.2029 तक निर्गत है।

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्रांक-2029/सी/एल-160/2026 दिनांक-09.03.2026 के माध्यम से उद्योग M/s Logix Builders Promoters Pvt. Ltd.(Ace Medley Avenue) Plot No. SC-01/A, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न आपकी औद्योगिक उद्योग के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

..2

(2)

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-09.03.2026 के अनुक्रम में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग M/s Logix Builders Promoters Pvt. Ltd.(Ace Medley Avenue) Plot No. SC-01/A, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न M/s Logix Builders Promoters Pvt. Ltd.(Ace Medley Avenue) Plot No. SC-01/A, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न M/s Logix Builders Promoters Pvt. Ltd.(Ace Medley Avenue) Plot No. SC-01/A, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
RADHEY SHYAM
Date: 06-04-2026
19:04:20
(ऌ राधेश्याम)

ok मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती एवं निर्धारित समयावधि में अनुवर्ती आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

ok



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक H-39710 /सी-1/सामान्य-2562/का०ब०न०-जल/2026

पजीकृत
दिनांक- 06-4-26

M/s Nobility Estate Pvt. Ltd.,(ATS Legrandiose),
Plot No. SC-01/C-A1, Sector-150,
Noida, Gautambudh Nagar

यह कि उद्योग M/s Nobility Estate Pvt. Ltd.,(ATS Legrandiose), Plot No. SC-01/C-A1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत एक ग्रुप हाऊसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-45(ई)(5) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि एन०सी०आर० क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ग्रैप के प्रतिबंध लागू है। ग्रुप हाऊसिंग परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-30.01.2026 को परियोजना प्रतिनिधि श्री निर्मल सिंह, फैंसिलिटी मैनेजर की उपस्थिति में किया गया। परियोजना में कुल-13 टावर, 845 फ्लैट्स तथा 40 प्रतिशत ऑक्यूपेशी अवगत कराया गया। परियोजना में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 750 के०वी०ए० क्षमता (CPCB IV+) का 01 तथा 1010 के०वी०ए० क्षमता के 02 डी०जी० सेट्स स्थापित है। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 01 एस०टी०पी० स्थापित पाया गया, जो एम०बी०बी०आर० पद्धति पर आधारित है तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एस०टी०पी० की क्षमता 450 के०एल०डी० है। निरीक्षण के समय एस०टी०पी० कार्यरत अवस्था में पाया गया तथा एस०टी०पी० के फाइनल आउटलेट से निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार पी०एच०-7.41, बी०ओ०डी०-13.3, सी०ओ०डी०-86.4, टी०एस०एस०-27.0, टी०डी०एस०-242.0, टी०सी०-2200.0, एफ०सी०-400.0, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। कार्यालय अभिलेखानुसार ग्रुप हाऊसिंग परियोजना द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सशर्त सहमति (जल एवं वायु) हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन किया गया था किन्तु वांछित सूचनाओं के अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र को राज्य बोर्ड के सन्दर्भ सं०-233404/UPPCB/Noida(UPPCBRO)/CTE/NOIDA/2025 dated-02.05.2025 एवं सशर्त सहमति (जल एवं वायु) आवेदन को राज्य बोर्ड के सन्दर्भ सं०-232922/UPPCB/Noida(UPPCBRO) /CTO/both/NOIDA/2025 dated-28.04.2025 के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। वर्तमान में परियोजना का निर्माण कार्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र किये बगैर किया जा रहा है, जो कि सन्दर्भित अधिनियमों के प्राख्यापित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्रांक-2032/सी/एन-385/2026 दिनांक-09.03.2026 के माध्यम से उद्योग M/s Nobility Estate Pvt. Ltd.,(ATS Legrandiose), Plot No. SC-01/C-A1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न आपकी औद्योगिक उद्योग के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

..2

(2)

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-09.03.2026 के अनुक्रम में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग M/s Nobility Estate Pvt. Ltd.,(ATS Legrandiose), Plot No. SC-01/C-A1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न M/s Nobility Estate Pvt. Ltd.,(ATS Legrandiose), Plot No. SC-01/C-A1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न M/s Nobility Estate Pvt. Ltd.,(ATS Legrandiose), Plot No. SC-01/C-A1, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
RADHEY SHYAM
Date: 06-04-2026
19:07:22

(इं० राधेश्याम)

Oh मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती एवं निर्धारित समयावधि में अनुवर्ती आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Oh मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 14-39711 /सी-1/सामान्य-2564/का०ब०नो०-जल/2026

दिनांक- 06-4-26

M/s Promoters Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Grand View),
Plot No. SC-01/B-3, Sector-150,
Noida, Gautambudh Nagar

यह कि उद्योग M/s Promoters Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Grand View), Plot No. SC-01/B-3, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत एक ग्रुप हाऊसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-45(ई)(5) के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि एन०सी०आर० क्षेत्र में मा० राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों में वायुगुणवत्ता प्रबन्धन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत ग्रैप के प्रतिबंध लागू है। ग्रुप हाऊसिंग परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक-09.02.2026 को परियोजना प्रतिनिधि श्री राकेश यादव, प्रोजेक्ट मैनेजर की उपस्थिति में किया गया। परियोजना में कुल-03 टावर, 192 फ्लैट्स एवं 16 विला तथा 20 प्रतिशत ऑक्सीपेसी अवगत कराया गया। परियोजना में विद्युत बाधित होने की दशा में विद्युत आपूर्ति हेतु 200 कॅ०वी०ए० क्षमता (ड्यूल फ्यूल पर संचालित) का 01 तथा 125 कॅ०वी०ए० क्षमता (ड्यूल फ्यूल पर संचालित) का 01 डी०जी० सेट स्थापित है। परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 01 एस्०टी०पी० स्थापित पाया गया, जो एम०बी०बी०आर० पद्धति पर आधारित है तथा उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एस्०टी०पी० की क्षमता 150 कॅ०एल०डी० है। निरीक्षण के समय एस्०टी०पी० कार्यरत अवस्था में पाया गया तथा एस्०टी०पी० के फाइनल आउटलेट से निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रण कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार पी०एच०-6.69, बी०ओ०डी०-37.2, सी०ओ०डी०-297.0, टी०एस०एस०-133.0, टी०डी०एस०-1914.0, टी०सी०-250000.0, एफ०सी०-170000.0, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार ग्रुप हाऊसिंग परियोजना को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक-17.12.2024 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु वैधता अवधि दिनांक-31.12.2029 तक निर्गत है।

क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा द्वारा पत्रांक-2033/सी/सी-395/2026 दिनांक-09.03.2026 के माध्यम से उद्योग M/s Promoters Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Grand View), Plot No. SC-01/B-3, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न आपकी औद्योगिक उद्योग के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

...2

(2)

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, नोएडा की आख्या व संस्तुति दिनांक-09.03.2026 के अनुक्रम में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग M/s Promoters Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Grand View), Plot No. SC-01/B-3, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न M/s Promoters Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Grand View), Plot No. SC-01/B-3, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar के औद्योगिक प्रक्रिया के संचालन को बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न M/s Promoters Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.(Antriksh Grand View), Plot No. SC-01/B-3, Sector-150, Noida, Gautambudh Nagar को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं सहित अन्य समस्त सुविधाओं को जिसमें पानी आदि की आपूर्ति भी सम्मिलित है, को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दें?

उक्त पर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी।

Digitally signed by
RADHEY SHYAM
Date: 06-04-2026
19:06:13

(इं० राधेश्याम)

SH मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती एवं निर्धारित समयवधि में अनुवर्ती आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

SH मुख्य पर्यावरण अधिकारी(प्रभारी), वृत्त-1

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 52/2026 News Item Tilted “Noida CEO Removed CM Orders SIT probe into techie’s Drowning” appearing in The Times of India Dated-20.01.2026 के माध्यम से दिनांक 22.01.2026 के अनुपालन में विस्तृत निरीक्षण आख्या।

सेक्टर-150 में कॉमर्शियल साईट में भण्डारित जल में गिर कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री युवराज मेहता मृत्यु की घटना दिनांक 20.01.2026 को Times of India में प्रकाशित खबर पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए ओ०ए० नं० 52/2026 News Item Tilted “Noida CEO Removed CM Orders SIT probe into techie’s Drowning” appearing in The Times of India date-20-01-2026 में दिनांक 22.01.2026 को आदेश पारित किया गया है।, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 10.04.2026 को नियत है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विस्तृत आख्या निम्नवत् है—

कार्यालय अभिलेखानुसार प्लॉट नं० एस०सी०-02/ए, सेक्टर-150 को नोएडा प्राधिकरण के आवंटन पत्र संख्या नोएडा/वाणिज्य/2014/1971 दिनांक 24.12.2014 द्वारा मै० लोट्स ग्रीन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० को कब्जा एवं स्पोर्ट सिटी (Recreation not less than 70%, Commerical not more than 0.5%, Residencial including group hoising 29.5%) विकसित किये जाने हेतु दिनांक 11.05.2015 को लीज निर्गत की गयी है।

कार्यालय अभिलेखानुसार मै० लोट्स ग्रीन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० द्वारा बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु वर्ष 2016 में सीटीई आवेदन किया गया था, जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या 3181/एनओसी-53/एल-4/2016 दिनांक 17.03.2016 द्वारा निरस्त किये जाने हेतु पत्र बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किया गया था।

मै० लोट्स ग्रीन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० द्वारा SEIAA (State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh) के पत्र संख्या 233/Parya/SEAC/2901/2014/AD(H) Date-28-10-2015 द्वारा प्लॉट एरिया-6,47,600.0 वर्गमीटर व बिल्टअप एरिया-19,86,644.0 वर्गमीटर हेतु प्रथम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

उक्त के उपरान्त नोएडा प्राधिकरण के पत्र संख्या नोएडा/वाणिज्य/2016/471 दिनांक 06.06.2016 द्वारा मै० लोट्स ग्रीन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० को आवंटित स्पोर्ट सिटी के क्षेत्रफल 7,91,600.0 वर्गमीटर पर स्वयं मै० लोट्स ग्रीन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० तथा 12 सबसिडेयरीज के माध्यम से विकसित किये जाने हेतु सबसिडेयरीज किया गया है, (संलग्नक-5)। प्लॉट सबसिडेयरीज के उपरान्त मै० लोट्स ग्रीन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० द्वारा SEIAA (State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh) के पत्र संख्या 276/Parya/SEAC/2901/2016 Date-07-10-2016 द्वारा पूर्व निर्गत ई०सी० के प्लॉट एरिया एवं बिल्टअप एरिया को 11 भाग में Bifurcate किया गया है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा मै० लोट्स ग्रीन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० को पत्र संख्या नोएडा/मु०व०नि०/2017/IV-1451/950 दिनांक 17.01.2017 द्वारा सबसिडेयरीज पत्र के आधार पर स्पोर्ट सिटी हेतु मानचित्र स्वीकृत किया गया है।

कॉमर्शियल साईट में भण्डारित जल में गिर कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्री युवराज मेहता मृत्यु की घटना प्लॉट नं० एस०सी०-02/ए-3 पर हुई है। नोएडा प्राधिकरण के पत्र संख्या नोएडा/वाणिज्य/2016/471 दिनांक 06.06.2016 द्वारा किये गये सबसिडेयरीज पत्र व मानचित्र स्वीकृत के अनुसार उक्त प्लॉट M/s Wiztown Planners Pvt Ltd एवं मै० लोट्स ग्रीन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा०लि० के नाम से है तथा उक्त का प्लॉट एरिया 27,185.0 वर्गमीटर है।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्लाट तथा उक्त प्लाट के बराबर में प्लाट नं० एस०सी०-०२बी पर वर्तमान में झील/तालाब के रूप में पानी भरा हुआ है। गूगल मैप के अनुसार प्लाट नं० एस०सी०-०२बी का क्षेत्रफल लगभग 1,00,000 वर्गमीटर है। तदनुसार वर्तमान में विकसित झील/तालाब का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,27,000 वर्गमीटर है। गूगल अर्थ के अनुसार घटित प्लाट पर जल भराव वर्ष 2021 माह नवम्बर से प्रदर्शित हो रहा है, उससे पूर्व माह जून व मार्च में खाली व भूमि पर Raft प्रदर्शित हो रही है, निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है—



मार्च-2021



नवम्बर-2021

निरीक्षण के दौरान पाया गया की सेक्टर-150 से बरसाती व सेक्टर से जनित घरेलू व अन्य उत्प्रवाह के निकासी हेतु स्टार्म वाटर ड्रेन बना हुआ है, जो सेक्टर-150 एस मेडेली मॉल गोल चक्कर के पास सेक्टर-151 के ड्रेन से जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से सेक्टर-150 की स्टार्म वाटर ड्रेन के जल का निस्तारण कोण्डली ड्रेन में होना है, परन्तु निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेक्टर-150 की स्टार्म वाटर ड्रेन सेक्टर-151 की ड्रेन के बीच मिट्टी भरी हुई है तथा पूर्ण रूप से बन्द पायी गयी, जिससे सेक्टर-150 के ड्रेन का पानी की निकासी न होने कारण उक्त ड्रेन में भरा हुआ है। उक्त ड्रेन के तीन तरफ स्टार्म वाटर ड्रेन है, उक्त ड्रेन जगर-जगह क्षतिग्रस्त है, जिसके माध्यम से ड्रेन का उत्प्रवाह उक्त प्लाटों में भण्डारित हो रहा है। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-



सेक्टर-150 से जनित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह की सीवर लाइन सेक्टर-168 में नोएडा प्राधिकरण के स्थिति एस0टी0पी0 (क्षमता 100 एम0एल0डी0, 50 एम0एल0डी0) से कनेक्ट होना अवगत कराया गया परन्तु निवासियों द्वारा सीवर लाइन का जगह-जगह बन्द व क्षतिग्रस्त होना अवगत कराया गया, जिससे उक्त सेक्टर से निस्तारित घरेलू (शुद्धिकृत/अशुद्धिकृत) उत्प्रवाह स्टार्म वाटर ड्रेन में निस्तारित हो रहा है तथा स्टार्म वाटर ड्रेन से सेक्टर-151 के पास बन्द होने से उत्प्रवाह नाले व उक्त प्लाट में भण्डारित हो रहा है, निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है-



निरीक्षण के समय क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला की टीम द्वारा प्लॉट नं० एस०सी०-०२/ए३ पर एकत्रित जल का ०२ बिन्दुओं तक स्टार्मवाटर ड्रेन में प्रवाहित जल का नमूना एकत्रण का कार्य किया गया, विश्लेषण आख्या में उल्लिखित प्रचालको का विवरण निम्नवत् है-

Analysis Report of Pit, Sector- 150, Noida										
Sr. No.	Location	Latitude and Longitude	Sampling Date	pH (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	TDS (mg/L)	TC (MPN/100 ml)	FC (MPN/100 ml)
1	Point 1	28.426127, 77.490700	31.01.2026	7.16	48.0	240.0	93.0	1896.0	33000	27000
2	Point 2	28.425164, 77.4913	31.01.2026	7.64	44.0	256.0	108.0	2019.0	47000	33000
3	Drain Flowing into Pit	28.428363, 77.488081	31.01.2026	7.44	52.0	272.0	149.0	2006.0	430000	310000

निरीक्षण के दौरान सेक्टर-150, नोएडा में स्थित आवासीय एवं कॉमर्शियल परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया, जिनका विवरण निम्नवत् है-

तालिका नं०-०१

S.No	Project Name & Address	Date of Inspection
1	Brick Rise Developers Pvt. Ltd. Plot No-SC-02/ HI, Sector 150, Noida	29.01.2026
2	Fest Homes Developers Pvt. Ltd. (ATS Homecraft), Plot No-SC-02/J & K, Sector-150, Noida	29.01.2026
3	Assertive Infrastructure Pvt Ltd (ATS Prestine), Plot No-SC-01/A1, Sector-150, Noida	29.01.2026
4	Wondrous Buidmart Pvt. Ltd. (Eldeco Live by the Green), Plot No-SC-02/A-09, Sector-150, Noida	29.01.2026
5	Nobility Estates Pvt. Ltd. (ATS Legrandiose), Plot No-SC-01/C-A1, Sector-150, Noida	30.01.2026
6	SAMRIDHI INFRA SQUARE PRIVATE LIMITED (Samridhi Luxuria Avenue), Plot No-SC-02D, Sector-150, Noida	31.01.2026
7	Ace Infracity Developers Pvt. Ltd. (Ace Golfshire), Plot No-SC-01/A-5, Sector-150, Noida	04.02.2026
8	Logix Height Pvt. Ltd. (Mahagun Medows), Plot No-SC-01/A-03, Sector-150, Noida	04.02.2026
9	ANTRIKSH GRAND VIEW (Promotor Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.) (Antriksh Green View), Plot No-SC-01/B-3, Sector-150, Noida	09.02.2026
10	Contend Infrastructure Pvt. Ltd. (Antriksh Golf City), Plot No-SC-01/B-2, Sector-150, Noida	09.02.2026
11	Ace Infracity Developers Pvt. Ltd. (Ace Parkway), Plot No-SC-01/B-08, Sector-150, Noida	09.02.2026
12	Landcart Builders Pvt. Ltd. (Tata Euseka Park), Plot No-SC-02/A-1, Sector-150, Noida	09.02.2026
13	Content Builders Pvt. Ltd. Plot No-SC-01/B-1, Sector-150, Noida	17.02.2026
14	LOGIX INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Bhutani City Center), Plot No-SC-01/B, Sector-150, Noida	17.02.2026
15	LOGIX BUILDERS PROMOTERS PRIVATE LIMITED (Ace Medley Avenue), Plot No-SC-01/A, Sector-150, Noida	17.02.2026
16	Ace Infracity Developers Pvt. Ltd. (Crist Promotors Pvt. Ltd.) Plot No-SC-02F, Sector-150, Noida	17.02.2026

उपरोक्त 16 परियोजनाओं में से वर्तमान में 11 परियोजनाओं में आक्यूपेन्सी पायी गयी। शेष 05 परियोजनाओं में आक्यूपेन्सी नहीं पायी गयी। आक्यूपेन्सी नहीं पाये जाने वाली 05 परियोजनाएँ निम्नवत् है-

S.No	Name & Address	Date of Inspection
1	Brick Rise Developers Pvt. Ltd. Plot No-SC-02/ HI, Sector 150, Noida	29.01.2026
2	Contend Infrastructure Pvt. Ltd. (Antriksh Golf City), Plot No-SC-01/B-2, Sector-150, Noida	09.02.2026
3	Content Builders Pvt. Ltd. Plot No-SC-01/B-1, Sector-150, Noida	17.02.2026
4	LOGIX INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED (Bhutani City Center), Plot No-SC-01/B, Sector-150, Noida	17.02.2026
5	Ace Infracity Developers Pvt. Ltd. (Crist Promotors Pvt. Ltd.) Plot No-SC-02F, Sector-150, Noida	17.02.2026

वर्तमान में 11 परियोजनाओं में आक्यूपेन्सी पायी गयी। जिनमें स्थापित एस0टी0पी0 का निरीक्षण किया गया तथा जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित किया गया। जिनका विवरण निम्नवत् है—

तालिका नं0-02

S.No	Project Name and Address	Sampling Date	Capacity of STP	Status of STP Operational/ non operational	Sample Taken Status (Yes/No)	Sampling Result Status	Status of Consent (Air & Water)
1	Fest Homes Developers Pvt. Ltd. (ATS Homecraft) , Plot No-SC-02/J & K, Sector-150, Noida	29-01-2026	600 KLD	Operational	Yes	Within norms	Reject
2	Assertive Infrastructure Pvt Ltd (ATS Prestine), Plot No-SC-01/A1, Sector-150, Noida	29-01-2026	700 KLD	Operational	Yes	Within norms	31-12-2025, Reject
3	Wondrous Buidmart Pvt. Ltd. (Eldeco Live by the Green), Plot No-SC-02/A-09, Sector-150, Noida	29-01-2026	760 KLD	Operational	Yes	Within norms	31-12-2027
4	Nobility Estates Pvt. Ltd. (ATS Legrandiose), Plot No-SC-01/C-A1, Sector-150, Noida	30-01-2026	450 KLD	Operational	Yes	Within norms	Reject
5	SAMRIDHI INFRA SQUARE PRIVATE LIMITED (Samridhi Luxuria Avenue), Plot No-SC-02D, Sector-150, Noida	31-01-2026	360 KLD	Operational	Yes	Within norms	31-12-2027
6	Ace Infracity Developers Pvt. Ltd. (Ace Golfshire), Plot No-SC-01/A-5, Sector-150, Noida	04-02-2026	190 KLD	Non-operational	Yes	Beyond norm	31-12-2022
7	Logix Height Pvt. Ltd. (Mahagun Meadows), Plot No-SC-01/A-03, Sector-150, Noida	04-02-2026	150 KLD	Non-operational	Yes	Beyond norm	Not applied
8	ANTRIKSH GRAND VIEW (Promotor Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.) (Antriksh Green View), Plot No-SC-01/B-3, Sector-150, Noida	09-02-2026	125 KLD	Operational	Yes	Beyond norm	31-12-2029
9	Ace Infracity Developers Pvt. Ltd. (Ace Parkway), Plot No-SC-01/B-08, Sector-150, Noida	09-02-2026	400 KLD	Operational	Yes	Within norms	31-12-2029
10	Landcart Builders Pvt. Ltd. (Tata Euseka Park), Plot No-SC-02/A-1, Sector-150, Noida	09-02-2026	1020 KLD	Operational	Yes	Within norms	31-12-2028
11	LOGIX BUILDERS PROMOTERS PRIVATE LIMITED (Ace Medley Avenue), Plot No-SC-01/A, Sector-150, Noida	17-02-2026	55.63 KLD	Operational	Yes	Beyond norm	31-07-2029

निरीक्षण के दौरान जिन परियोजनाओं में (तालिका नं0-02 में क्रम संख्या 06, 07) एस0टी0पी0 कार्यरत नहीं पाया गया, जिनके नमूना मानको के अनुरूप (तालिका नं0-02 में क्रम संख्या 08, 11) नहीं पाये गये अथवा जिनके पास बोर्ड के सहमति नहीं (तालिका नं0-02 में क्रम संख्या 01, 02, 04, 07) पायी गयी उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी, जिनका विवरण निम्नवत् है—

क्र0	परियोजना का नाम व पता	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति का विवरण
1	Fest Homes Developers Pvt. Ltd. (ATS Homecraft), Plot No-SC-02/J & K, Sector-150, Noida	2030/C/F-179/2026, Date-09-03-2026
2	Assertive Infrastructure Pvt Ltd (ATS Prestine), Plot No-SC-01/A1, Sector-150, Noida	2031/C/A-726/2026, Date-09-03-2026
3	Nobility Estates Pvt. Ltd. (ATS Legrandiose), Plot No-SC-01/C-A1, Sector-150, Noida	2032/C/N-385/2026, Date-09-03-2026
4	Ace Infracity Developers Pvt. Ltd. (Ace Golfshire), Plot No-SC-01/A-5, Sector-150, Noida	1720/C/A-708/2026, Date-09-02-2026

5	Logix Height Pvt. Ltd. (Mahagun Medows), Plot No-SC-01/A-03, Sector-150, Noida	1721/Noc-142/2026, Date-09-02-2026
6	ANTRIKSH GRAND VIEW (Promotor Consortium Infrastructure Pvt. Ltd.) (Antriksh Green View), Plot No-SC-01/B-3, Sector-150, Noida	2033/C/C-395/2026, Date-09-03-2026
7	Contend Infrastructure Pvt. Ltd. (Antriksh Golf City), Plot No-SC-01/B-2, Sector-150, Noida	2028/Noc-458/2026, Date-09-03-2026
8	M/s Logix Builders Promoters Pvt Ltd (ACE Medley Avenue), Plot No. SC-01/A, Sector-150, Noida	2029/C/L-160/2026, Date-09-03-2026

उक्त तालिका में निम्न परियोजना को बोर्ड मुख्यालय से कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है—

क्र०	परियोजना का नाम व पता	बोर्ड मुख्यालय द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का विवरण
1	Ace Infracity Developers Pvt. Ltd. (Ace Golfshire), Plot No-SC-01/A-5, Sector-150, Noida	एच-38934 / सी-1 / जल-337 / का०ब०नो०-जल / 2026 दिनांक 13.03.2026
2	Logix Height Pvt. Ltd. (Mahagun Medows), Plot No-SC-01/A-03, Sector-150, Noida	एच-38866 / सी-1 / सा०-2553 / का०ब०नो०-जल / 2026 दिनांक 11.03.2026

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(रवि कुमार)
16/03/26
(रवि कुमार)
जे०ई०ए०

(विशाल मौर्या)
16/03/26
(विशाल मौर्या)
प्रयोगशाला सहायक

(राहुल पटेल)
16/03/26
(राहुल पटेल)
अवर अभियन्ता

(किशन सिंह)
16/03/26
(किशन सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

(क्षेत्रीय अधिकारी)
16.3.26
RO

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Appeal/OA NO. OA NO 52 of 2026

In re:

News Item Titled Noida CEO Remove CM Order SIT Probe in to techie

Drowning appearing in the Times of India dated 20.01.2026

Plaintiff /Appellants/
Petitioner/Complainant

VERSUS

Defendant/Respondent/
Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/We
Anuj Kumar chaubey the above named Law officer
 do hereby appoint (herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above
 noted case & authorize :-

**Mr. Pradeep Misra, Mr. Daleep Dhyani, Advocates,
 138, New Lawyers Chamber, Supreme Court of India,
 New Delhi, Ph. :011-23070011, Mob. 9810252518, 9811070721**

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which
 the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to
 payment of fees separately for each Court by me/ us.

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross objections or petitions for execution
 review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents
 as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages.

To file and take back documents to admit and/or deny the documents of opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes
 that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings.

To deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all
 other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of
 the prosecution of the said case.

To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power
 and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to
 sign the Power of Attorney on my/our behalf.

AND I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the
 Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents
 and purposes.

AND I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court
 on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called.

AND I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible
 for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be
 of the Advocate which he shall receive and retain himself.

AND I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee
 agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw
 from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the
 above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I/we will not be
 entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three
 years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for
 every addition three years or part thereof.

IN WITNESS WHEREOF I/We do hereunto set my /our hand to these presents the contents
 of which have been understood by me/us on this _____ day of _____

Ac _____ (subject to the terms of fees.

(PRADEEP MISRA)(DALEEP DHYANI)
 Advocate Advocate (D/435/01)

Client
Anuj Kumar Chaubey
 Law Officer-I
 U.P. Pollution Control Board
 Lucknow

